कृषि व्यवसाय प्रबन्धन संस्थान
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

क्र.स.: आई.ए.बी.एम/स्वाकेराकृवि/स्टोर/2021/947 दिनांक 24/11/2021

निविदा सूचना

कृषि व्यवसाय प्रबन्धन संस्थान, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की ओर से निम्नलिखित कार्यो के लिए निविदा आंमत्रित की जाती है। निविदाए दिनांक 02.12.2021 को दोपहर बाद 1:00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती हैं तथा दोपहर बाद 3:00 बजे उपस्थित ठेकेदारो के समक्ष खोली जायेगी। निविदा की शर्तें वेबसाइट www.iabmbikaner.org एवं http://raubikaner.org पर भी उपलब्ध होगी व निविदा निरस्त करने का अधिकार कमेटी को होगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रूपये)	धरोहर राशि (रूपये)	कार्य अवधि
1.	कार्यालय की सफाई तथा बागवानी का कार्य	2.00 लाख	4000	12 माह

निदेशक

कृषि व्यवसाय प्रबन्धन संस्थान
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

क्र.स.: आई.ए.बी.एम/स्वाकेराकृवि/स्टोर/2021/946 दिनांक 24/11/2021

निविदा सूचना

कृषि व्यवसाय प्रबन्धन संस्थान, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की ओर से निम्नलिखित कार्यो के लिए निविदा आंमत्रित की जाती है। निविदाए दिनांक 02.12.2021 को दोपहर बाद 1:00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती हैं तथा दोपहर बाद 3:00 बजे उपस्थित ठेकेदारो के समक्ष खोली जायेगी। निविदा की शर्तें वेबसाइट www.iabmbikaner.org एवं http://raubikaner.org पर भी उपलब्ध होगी व निविदा निरस्त करने का अधिकार कमेटी को होगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रूपये)	धरोहर राशि (रूपये)	कार्य अवधि
1.	छात्रावास (छात्र एवं छात्रायें) की सफाई का कार्य	2.00 लाख	4000	12 माह

निदेशक

निविदा की शर्ते
(सफाई तथा बागवानी का कार्य)

1- निविदादाता द्वारा कोई भी संशोधन या प्रस्ताव अस्वीकार्य है। निविदादाता निविदा प्रस्तुत करने एवं स्वीकृत होने के बाद सभी निविदा की शर्तो व नियमों के लिए बाध्य होंगे और किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

2- प्रस्तावित निविदा मोहरबंद लिफाफे में बन्द होनी चाहिये एवं निदेशक, कृषि व्यवसाय प्रबन्धन संस्थान, बीकानेर मय निविदा विवरण लिफाफे पर लिखकर प्रस्तुत करनी होगी।

3- निविदा की अवधि एक वर्ष तक विधिमान्य होगी तथा आवश्यकतानुसार दोनों की सहमति से बढाई जा सकेगी।

4- बिलों का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा तथा बिल कोषागार से पारित होने पर ही भुगतान किया जा सकेगा।

5- निदेशक द्वारा ठेका किसी भी समय बिना किसी कारण बतलाए निरस्त किया जा सकता है।

6- निर्धारित समय में कार्य पूर्ण न करने व कार्य सन्तोषजनक न होने की अवस्था में रू. 2000/- तक जुर्माना लगाने का अधिकार निदेशक को होगा। असन्तोषजनक कार्य होने व शर्तो की पूर्ण पालना नहीं होने पर बिना नोटिस दिये ठेका समाप्त कर जमानति राशि जब्त की कार्यवाही की जावेगी।

7- कार्य सम्पन्न कराने का भुगतान कर्मकारों को प्रत्येक माह ठेकेदार द्वारा भुगतान करना होगा। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से कॉलेज प्रशासन द्वारा ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जाने की अवस्था में प्रतिमाह निश्चित तिथि तक कार्मिकों को भुगतान ठेकेदार सुनिश्चित करेगा।

8- निविदा की धरोहर राशि रू. ४000/- नगद व डी.डी. के द्वारा जमा करानी होगी बिना धरोहर राशि वाली निविदा मान्य नहीं होगी। धरोहर राशि में किसी प्रकार का चैक मान्य नहीं होगा।

9-पी. एफ./ई.पी.एफ./ई.एस.आई. आदि पर कोई खर्च हो तो उसे ठेकेदार वहन करेगा।

10- ठेका अनुमोदित होने पर निविदाकर्ता को निविदा की राशि का पांच प्रतिशत जमानत राशि नगद या डी.डी. के रूप में जमा करानी होगी जिससे दो प्रतिशत जमा कराई गई धरोहर राशि समायोजित कर ली जायेगी

11- किसी तरह के विवाद का न्यायिक क्षेत्र बीकानेर होगा।

12- शर्तो का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके समस्त पृष्ठों पर अपनी सहमति स्वरूप हस्ताक्षर करें।

13- प्रत्येक प्रकार के कार्य हेतु ठेके का कार्य निष्पादन करने वाले कर्मचार को कार्यालय समय या अन्य कोई निर्धारित अवधि (जो प्रतिदिन आठ घंटे होगी) में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। सफाई का कार्य कार्यालय खुलने के समय तक पूरा होना चाहिए।

14- अगर कोई अन्य शर्ते होगी तो निविदा खुलने के समय सूचित कर दी जावेगी एवं स्वीकृत निविदादाता की सहमती प्राप्त की जावेगी।

15- कार्य में शिथिलता/अनियमितता की शिकायत प्रमाणित पाई जाने पर जमानति राशि जब्त की जावेगी तथा ठेके को निदेशक द्वारा निरस्त किया जा सकेगा जिनका निर्णय अन्तिम होगा।

16- कार्यालय तथा छात्रावासों की सफाई सभी कमरों, रसोई व गैलरी में नियमित झाडू व पौंछा से सफाई करनी होगी व फिनाईल से कम से कम सप्ताह में दो बार तथा स्नानघर व शौचालय में फिनायल की गोली से विशेष सफाई ईत्यादि सम्मिलित हैं ।

17- विभिन्न कार्यो के प्रभारी द्वारा सफाई व अन्य कार्यो की नियमित जांच की जावेगी। तथा कार्य के सन्तोषजनक न पाये जाने पर ठेके की जमानत राशि जब्त की जायेगी।

18- श्रम विभाग व लेबर कान्ट्रैक्ट एक्ट के तहत समस्त कानूनी देनदारी व जिम्मेदारी निविदा दाता की होगी।

19- किसी भी प्रकार के कार्य की आवश्यकता ठेके कि शेष अवधि या मध्य में किसी अवधि में नही होने पर सम्बन्धित कार्य का ठेका समाप्त या विशिष्ट समयावधि द्वारा निलम्बित किया जा सकेगा।

20- ठेका श्रम विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम, 1970 एवं अन्य अधिनियमों की पालनार्थ एवं औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों की पालना हेतु एजेन्सी द्वारा शपथ पत्र रू.500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।

निदेशक

मैं/हम घोषित करता हू/करते हैं कि मैनें /हमने पूर्ण सावधानी पूर्वक उपरोक्त सभी शर्ते स्वीकार करते है।

निविदादाता के हस्ताक्षर